

दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 9.0 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुग्ने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 18.00 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

हस्ताक्षर

*ab*

महाप्रबन्धक (तकनीकी-पूर्व)  
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा)  
लखनऊ।

*ab*  
प्रबन्धक (तकनीकी)  
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण  
लखनऊ